आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
27/06/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 187 / 2011** **चन्द्रा टोप्पो बनाम् प्रणय शंकर दयाल** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील क्रमांक–15–R15/2010-11 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किये गये है। प्रश्नगत् विषय दिनांक–18.10.1998 को अनुमति वाद संख्या–119–R8(ii)/58-59 दिये गये अनुमति के आधार पर भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है। इस वाद में आवेदक के तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–23.10.2018 को दी गयी थी। उक्त तिथि के पश्चात् आवेदक लगातार न्यायालय से अनुपस्थित है। उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक–23.05.2022, 09.06.2022, 20.06.2022 को अंतिम मौका दिया गया, किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया। निम्न न्यायालयों के अभिलेख देखने से यह स्पष्ट होता है कि भूमि वापसी वाद संख्या–90 / 2005–06 में ग्राम–हेहल, खाता नम्बर–14, प्लॉट–80 में अवस्थित 20 कट्ठा भूमि के वापसी हेतु दावा अस्वीकृत किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की गयी, जिसमें निम्न न्यायालयों के आदेश सम्पुष्ट किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा विषय–वस्तु की विस्तृत समीक्षा करते हुये अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत् मामले में विधिवत् अनुमति प्राप्त करते हुये वर्ष–1958 में भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है। आवेदकों के द्वारा उक्त अनुमति में उपायुक्त की लिखित सहमति नहीं होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु प्रश्नगत् अनुमति सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। वर्ष–1958 में भूमि के हस्तांतरण के पश्चात् उक्त	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	भूमि को कई अन्य व्यक्तियों के साथ बिक्री किया जाता रहा है। किसी भी समय आवेदकों के तरफ से आपत्तियां दर्ज नहीं की गयी है। इसी भूमि के वापसी हेतु राम उरांव द्वारा भूमि वापसी वाद संख्या–04/1997–98 दायर किया गया था, जो दिनांक–27.06.1989 को खारिज कर दिया गया। पुनः चन्द्र उरांव के द्वारा वाद संख्या–201/1998–99 दायर किया गया, जो दिनांक–26.04.1989 को खारिज हुआ। एक अन्य भूमि वापसी वाद–62/99–2000 भी दिनांक–10.05.2000 को खारिज हुआ। इस प्रकार इस भूमि को लेकर लगातार भूमि वापसी के दावे विभिन्न हिस्सेदारों के द्वारा अलग क्रेताओं को पक्षकार बनाते हुये दायर किये गये थे, जो सभी खारिज हो चुके है। पुनः उसी बिन्दु पर नया भूमि वापसी वाद आवेदकों के तरफ से दायर किया गया, जिसे निम्न न्यायालयों के द्वारा खारिज किया जा चुका है। आवेदकों का दावा है कि धारा–49 के तहत् दी जाने वाली अनुमति मात्र लोकहित के कार्यों के लिये दी जा सकती है, किन्तु प्रश्नगत् मामले में लोक हित का कोई विषय सम्मिलित नहीं है। विचारणीय है कि धारा–49 के तहत् दिये गये अनुमति पर 12 वर्षों के अवधि तक ही पुर्नविचार/समीक्षा किया जा सकता है। आवेदकों के द्वारा भूमि वापसी का प्रथम दावा वर्ष–1998 में हस्तांतरण के 40 वर्षों के पश्चात् दायर किया गया। स्पष्टतः यह विषय रेस–जूड़ीकांटा तथा कालबाधित होने से भी आच्छादित है। आवेदकों की तरफ से इस पुनरीक्षण आवेदन में कोई भी नया तथ्य/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.18 15:30:30 +05:30
Location: 10.93.72.187